राजस्थान सरकार

यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

ासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

मा संख्या :– 206/2024 प्रकरण

रथी रामसिंह व0 सुरसिंह जाति लि0 रोदीया बागोर- राज0 भीलवाडा

बनाम

राज0 सरकार जरीये तहसीलदार करेड़ा

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 30/7/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत वेदन किया कि ग्राम देवीखेड़ा पटवार हल्का नीरवी तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या 82 आराजी नम्बर 2613, 2615, 2615/1, 2616, 2616/2, 2616/3, 2616/4, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621,

कुलकिता 12 रकबा 3.0604 हैक्टेयर भूमि ः। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन नबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की ढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10/6/24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी ा अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम देवीखेड़ा पटवार हल्का नीरवी तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या राजी नम्बर 2613, 2615, 2615/1, 2616, 2616/2, 2616/3, 2616/4, 2617, 2618, 2619, 2619, 2620, 2621,

कुलकिता 12 रकबा 3.0604 हैक्टेयर भूमि ों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक. नाद को 1000/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर ार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल ोने पर पत्थरगढी नही की जावे।

– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा